प्रेषक,

संख्या– 381/VI/2019–21(5)/2010

सूर्य मोहन नौटियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

DD/AD/SAO
10.07.19

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

J.D

खेलकूद अनुभाग

देहरादून : दिनांक 28 जून, 2019

विषय– राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रदेशीय टीमों के खिलाड़ियों को रेल किराया (आरक्षण शुल्क सहित) दिये जाने की सुविधा की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोंपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का प्रतिवर्ष देश के विभिन्न स्थानों में आयोजन होता है जिनमें प्रदेशीय राज्य टीमें भाग लेने जाती हैं। वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में नीति लागू न होने एवं खेल के विकास और खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुये यह शासनादेश निर्गत होने की दिनांक से व्यवस्था के अनुसार इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली समस्त राज्य टीमों के खिलाड़ियों (मैनेजर और कोच सहित) प्रस्थान स्थल से आयोजन स्थल तक जाने एवं वापस का रियायती दर पर स्लीपर क्लास का वास्तविक रेल किराया या मोटर वाहन का वास्तविक किराया दोनों में से जो भी कम हो। यदि रेल यात्रा के साथ पानी जहाज या मोटर बाहन से यात्रा आवश्यक हो तो रेल किराया के साथ संबंधित उक्त यात्रा साधनों का वास्तविक किराया भी देय होगा, के सिद्धान्त के आधार पर (आरक्षण शुल्क सहित) पूर्ण किरायें के भुगतान पर किये जाने हेतु निम्नलिखित नीति विषयक निर्णय लिये गये हैं :–

1. रेल किराया (आरक्षण शुल्क सहित) की सुविधा प्रत्येक खेल वर्ग में खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जायेगी और यह संख्या खेल फेडरेशन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेश राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु जारी गाईड लाईन्स में उल्लिखित संख्या के आधार पर प्रदान की जायेगी।

2. रेल किराया (आरक्षण शुल्क सहित) की सुविधा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रदेशीय टीमों के खिलाड़ियों, जोकि विभिन्न आयुवर्ग, जैसे कि सब जूनियर, जूनियर सीनियर वर्ग को अनुमन्य होगी।

3. रेल किराया (आरक्षण शुल्क सहित) के किराये के अतिरिक्त प्रस्थान स्थल से आयोजन स्थल की यात्रा अवधि एवं वापसी यात्रा अवधि के लिये प्रति 24 घन्टे हेतु ₹150.00 प्रति सदस्य हेतु भोजन भत्ता एवं प्रस्थान की तिथि से वापसी आने की तिथि तक अनुसांगिक व्यय ₹100.00 प्रति सदस्य हेतु एक बार देय होगा। साथ ही प्रदेशीय कीड़ा संघ को यह प्रमाण पत्र भी दिया जाना आवश्यक है कि खिलाड़ियों के रेल किराया (आरक्षण शुल्क सहित), भोजन भत्ता एवं अनुसांगिक व्यय का भुगतान उनके द्वारा ही वहन किया गया है।

4. रेल किराया (आरक्षण शुल्क सहित) को दिये जाने से पूर्व प्रदेशीय कीड़ा संघ को टिकट की प्रति संलग्न की जानी अनिवार्य है, जो संघ द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये। साथ ही प्रस्थान स्थल, आयोजन स्थल से जाने एवं आने तक पहुंचने की तिथि/समय का उल्लेख भी किया जाना अनिवार्य होगा।

क्रमशः–2/–पर

5. रेल किराया (आरक्षण शुल्क सहित) की सुविधा शासनादेश निर्गत होने की तिथि से राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रदेशीय टीमों के खिलाड़ियों पर लागू होगी। यह सुविधा उन सभी कीड़ा संघों को उपलब्ध करायी जायेगी, जो मान्यता प्राप्त होगें तथा उत्तराखण्ड राज्य की खेल नीति में सम्मिलित हो के साथ–साथ उत्तराखण्ड राज्य में लागू स्पोर्ट्स कोड का पूर्णतः अनुपालन कर रहे हो। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

6. उक्त मद में होना वाला व्यय वर्तमान **वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–11 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–104 खेलकूद–22 प्रदेशीय कीड़ा संघों एवं क्लबों को आर्थिक सहायता–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता** के नामें डाला जायेगा तथा अतिरिक्त व्ययभार को समस्त अनुदान में बचत करके ही वहन किया जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–19(म0)/XXVII(3)/2019-20, दिनांक 18 जून, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(सूर्य मोहन नौटियाल)
अपर सचिव।

क्रमशः–3/–पर

F:\JANUARY 2018\MISC 2018\LETTER.Docx

संख्या– / VI/2019–21(5)/2010, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
5. सचिव, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
10. सहायक निदेशक, खेल, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
11. समस्त जिला कीड़ा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।